


FORM NO.III

फर्द अहकाम  
(नियम 28)

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)  
शेरू लाल बनाम शालू चन्द  
किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 217/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>शेरू लाल</u></p> <p>पिता श्री <u>किशन लाल जाट</u></p> <p>निवासी- <u>शालूमपुरा</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम ..... <u>शालूमपुरा</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>1386/1259</u> <u>1404/955</u> <u>0.28</u></p> <p>कुल कीता <u>0.2</u> कुल रकबा <u>0.65</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>शालूमपुरा</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>1386/1259</u> <u>1404/955</u> <u>0.28</u> , <u>0.37</u></p> <p>कुल कीता <u>0.2</u> रकबा <u>0.65</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1000</u> रुपये अक्षरे <u>एक हजार मात्र</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>